संख्या: 52/2025/697/छप्पन-2025-17/2014

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 19 मई, 2025

विषय: नागरिक उड्डयन निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 206/ना0उ0नि0/पारिश्रमिक/2024 दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 एवं पत्र संख्या 209/ना0उ0नि0/ पारिश्रमिक/2024 दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिस प्रकार शासनादेश संख्या 1422/छप्पन-2014-17/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 द्वारा नागरिक उड्डयन निदेशालय के संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक का पुनरीक्षण किया गया है उसी प्रक्रिया/रीति का पालन करते हुए नागरिक उड्डयन निदेशालय की विभिन्न इकाईयों के संविदा कार्मिकों (पायलटों, विमानन अभियन्ताओं/क्वॉलिटी मैनेजर, अपर निदेशक (तकनीकी), प्रबन्धक परिचालन, चीफ ऑफ फ्लाईट सेफ्टी व अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकी कार्मिक) के पारिश्रमिक के पुनर्निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त के क्रम में नागरिक उड्डयन निदेशालय के संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक के पुनर्निधारण पर विचार करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 1682/छप्पन-2024-17/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2024 द्वारा अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी को सदस्य एवं संयोजक; प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग द्वारा नामित अधिकारी; निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सदस्य नामित किया गया।

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1985/छप्पन-2024-17/2014 दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 द्वारा समिति की बैठक में अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन की ओर से प्रतिभाग किए जाने हेतु विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को नामित किया गया।

3- नागरिक उड्डयन निदेशालय के संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की बैठक दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 को आयोजित कर संस्तुति उपलब्ध कराई गई। समिति द्वारा की गई निम्नलिखित संस्तुति पर मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 15 मई, 2025 में अनुमोदन प्रदान किया गया:-

(1) **पायलट (फिक्स्ड विंग); पायलट-इन-कमाण्ड (जेट/टर्बो-प्रॉप वायुयान) श्रेणी तथा पायलट (रोटर विंग)**-

नए नियुक्त किए जाने वाले पायलटों के लिए पारिश्रमिक रेन्ज रू0 5.00 लाख से रू0 10.00 लाख तथा पूर्व की भांति 5% वार्षिक वृद्धि। कार्यरत पायलटों के वर्तमान पारिश्रमिक में 10% वृद्धि अथवा न्यूनतम रू0 5.00 लाख जो भी अधिक हो, तथा पूर्व की भांति 5% वार्षिक वृद्धि को अनुमन्य किया जाए।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) **<u>पायलट (फिक्स्ड विंग); को-पायलट (जेट/टर्बो-प्रॉप वायुयान) श्रेणी</u>**-

नए नियुक्त किए जाने वाले पायलटों के लिए पारिश्रमिक रेन्ज रू0 3.00 लाख से रू0 7.00 लाख तथा पूर्व की भांति 5% वार्षिक वृद्धि। कार्यरत पायलटों के वर्तमान पारिश्रमिक में 10% वृद्धि तथा पूर्व की भांति 5% वार्षिक वृद्धि को अनुमन्य किया जाए।

(3) **<u>चीफ पायलट (फिक्स्ड विंग) तथा चीफ पायलट (रोटर विंग)</u>-**

अतिरिक्त दायित्व के निर्वहन हेतु रू0 25,000/- प्रतिमाह अनुमन्य किया जाए।

(4) **<u>विमानन अभियन्ता/गुणवत्ता प्रबन्धक (क्वॉलिटी मैनेजर)</u>-**

नए नियुक्त किए जाने वाले अभियन्ताओं के लिए पारिश्रमिक रेन्ज रू0 3.00 लाख से रू0 5.00 लाख तथा पूर्व की भांति 5% वार्षिक वृद्धि। कार्यरत अभियन्ताओं के लिए निम्नानुसार:-

(क) **मुख्य अभियन्ता**- रू0 4.25 लाख तथा पूर्व की भांति 5% वार्षिक वृद्धि को अनुमन्य किया जाए।

(ख) **वायुयान/हैलीकॉप्टर अभियन्ता**- 5700 किलोग्राम से कम अथवा अधिक भार वाले एक वायुयान/हैलीकॉप्टर का इण्डोर्समैन्ट/सर्टीफिकेशन अधिकार होने पर रू0 3.00 लाख तथा एक से अधिक वायुयान/हैलीकॉप्टर पर अतिरिक्त इण्डोर्समैन्ट/ सर्टीफिकेशन अधिकार रखने पर रू0 25,000/- की अतिरिक्त धनराशि प्रति वायुयान/हेलीकाप्टर, तथा 05 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत विमानन अभियन्ता का पारिश्रमिक उक्तानुसार निर्धारित करते हुए प्राप्त धनराशि पर 5 प्रतिशत की वृद्धि देकर निर्धारण। निर्धारित पारिश्रमिक पर पूर्व की भांति 5% वार्षिक वृद्धि को अनुमन्य किया जाए।

(ग) **एवियॉनिक्स अभियन्ता**- 5700 किलोग्राम से अधिक भार वाले वायुयान/हैलीकॉप्टर का इण्डोर्समैन्ट/सर्टीफिकेशन अधिकार होने पर रू0 3.00 लाख तथा एक से अधिक वायुयान/हैलीकॉप्टर पर अतिरिक्त इण्डोर्समैन्ट/सर्टीफिकेशन अधिकार रखने पर 5700 किलोग्राम से कम भार के लिए रू0 10,000/- तथा 5700 किलोग्राम से अधिक भार के लिए रू0 25,000/- की अतिरिक्त धनराशि प्रति वायुयान/हैलीकॉप्टर, तथा 05 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत विमानन अभियन्ता का पारिश्रमिक उक्तानुसार निर्धारित करते हुए प्राप्त धनराशि पर 5 प्रतिशत की वृद्धि देकर निर्धारण। पारिश्रमिक पर पूर्व की भांति 5% वार्षिक वृद्धि को अनुमन्य किया जाए।

(घ) **गुणवत्ता प्रबन्धक (क्वॉलिटी मैनेजर)**- वायुयान/हैलीकॉप्टर अभियन्ता तथा एवियॉनिक्स अभियन्ता के लिए प्रस्तावित उक्त पारिश्रमिक के अनुसार।

(5) **<u>अपर निदेशक (तकनीकी)</u>-**

नवनियुक्ति हेतु पारिश्रमिक रेन्ज रू0 3.00 लाख से रू0 5.00 लाख तथा पूर्व की भांति 5% वार्षिक वृद्धि। कार्यरत अपर निदेशक (तकनीकी) को रू0 4.50 लाख तथा पूर्व की भांति 5% वार्षिक वृद्धि अनुमन्य किया जाए।

(6) **<u>प्रबन्धक (परिचालन)</u>**-

पारिश्रमिक रेन्ज रू0 2.50 लाख से रू0 4.50 लाख तथा पूर्व की भांति 5% वार्षिक वृद्धि अनुमन्य किया जाए ।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) **<u>चीफ ऑफ फ्लाईट सेफ्टी</u>**-

नए नियुक्त किए जाने वाले कार्मिक के लिए पारिश्रमिक रेन्ज रू0 2.50 से 4.50 लाख तथा पूर्व की भांति 5% वार्षिक वृद्धि। पायलट द्वारा अतिरिक्त प्रभार वहन किए जाने की दशा में अतिरिक्त रू0 25,000/- प्रतिमाह अनुमन्य किया जाए।

(8) **<u>अन्य (तकनीकी व गैर-तकनीकी) कार्मिक</u>**-

(क) पायलट, विमानन अभियन्ता/गुणवत्ता प्रबन्धक, अपर निदेशक (तकनीकी), प्रबन्धक (परिचालन) एवं चीफ ऑफ फ्लाईट सेफ्टी को छोड़कर नागरिक उड्डयन निदेशालय की विभिन्न इकाईयों के संविदा सेवा के कार्मिकों का पारिश्रमिक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित पद के लिए निर्धारित पे मैट्रिक्स लेवल की न्यूनतम राशि (सम्बन्धित पे मैट्रिक्स लेवल की पहली कोष्ठिका की धनराशि) एवं उस पर वर्तमान में देय मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा एविएशन भत्ता को जोड़कर निर्धारित किया जाए, जिस पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि संतोषजनक सेवा होने पर अनुमन्य होगी। उक्त व्यवस्था नए नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों एवं 5 वर्षों से कम समय से निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के मामलों में लागू होगी।

(ख) 5 वर्षों से अधिक समय से निदेशालय में कार्यरत कर्मियों का पारिश्रमिक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित अथवा समकक्ष पद के लिए निर्धारित पे मैट्रिक्स लेवल की न्यूनतम राशि (सम्बन्धित पे मैट्रिक्स लेवल की पहली कोष्ठिका की धनराशि) एवं उस पर वर्तमान में देय मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा एविएशन भत्ता को जोड़ने के बाद उसके योग पर 10 प्रतिशत वृद्धि देकर निर्धारित किया जाए, जिस पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि संतोषजनक सेवा होने पर अनुमन्य होगी।

<u>एविएशन भत्ते का पुनरीक्षण</u>-

नागरिक उड्डयन अनुभाग के शासनादेश संख्या 1344/छप्पन-2007-90/95 दिनांक 01 जनवरी, 2008 द्वारा नागरिक उड्डयन निदेशालय के कार्मिकों हेतु एविएशन भत्ते का पुनर्निर्धारण किया गया था। विगत 16 वर्षों से एविएशन भत्ते में कोई भी बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है; अतएव एविएशन भत्ते का पुनरीक्षण निम्नवत अनुमन्य किया जाए:-

क्रमांक	पदनाम	एविएशन भत्ता की दर (रू0)
1	निदेशक, नागरिक उड्डयन	4000.00
2	समूह 'क' तथा 'ख' के समस्त अधिकारी (निदेशक, नागरिक उड्डयन को छोड़कर)	3200.00
3	तकनीशियन	2400.00
4	तकनीकी सहायक	2000.00
5	सामान्य स्टाफ	1600.00

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णयों के अनुपालन में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। उक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक/भत्तों/अन्य भत्तों के सम्बन्ध में समय-समय पर पूर्व में निर्गत आदेश उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे। इस शासनादेश के अनुसरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 के स्तर पर सम्पादित की जाएगी और यथावश्यकतानुसार विभिन्न श्रेणियों के संविदा कार्मिकों के लिए आदेश निर्गत किए जाएंगे।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

पृ0सं0- 52/2025/697(1)/छप्पन-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/न्याय विभाग/कर्मिक विभाग एवं नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2 वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।